

पत्रावली पेश हुई।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, जो मूल नम्बर पर दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 22.10.2018 को पेश हो।

1023  
12/10/18

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

22/10/2018 सखी पुरीदार द्वारा

प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा दिनांक 21/10/2018 को पारित निर्वाहानुसार प्रकरण में प्रसंगत आवंटन आदेश दिनांक 11/11/1978 के निरस्तीकरण तहत राजस्थान शू राजस्व अधिपशो जनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 में विधि के उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत विधि सम्मन निर्वाह पारित करने के निर्देश दिये गए हैं। तदनुसार पक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शोरिज किया जाता है तथा प्रकरण तलसीलदार मांज को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम कोटालिया के खान. 1085, 1108, 3661 की भूमि कुम्हाडा क्रिस्तर जैम वादी के लिए गाए नियमन तहत आवश्यक दस्तावेजात की पूर्ति करते हुए राजस्थान शू राजस्व (अधिपशो जनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानानुसार नियमन निरस्त कराने हेतु सन्दर्भित नियमों के तहत प्रार्थना पत्र तैयार कर 15 दिवस के भीतर इस न्यायालय में पेश करे। पालनार्थी DR मज. को इस निर्वाह की प्रति-शुजताई जावे। तद पालना पत्रावली फॉयल में शुमार लेकर नम्बर से कम हो।

अति. जिला कलेक्टर, पाली